न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 158 / 2022

1 हरफुल आयु 70 साल पुत्र स्व. शोभाराम जाति माली पेशा कृषि निवासी अशोक नगर पोस्ट तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) मो.नं. 9829299686

अपीलांट

बनाम

1 विशम्बर उर्फ विशम्बरदयाल आयु 55 साल पुत्र स्व. शोभाराम जाति माली पेशा कृषि निवासी अशोक नगर पोस्ट बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

2 तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

3 उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी दावा उनवानी विशम्बर बनाम हरफूल आदि दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 109 / 2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * भू-प्रबन्ध

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फुलचन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 109/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी विशम्बर उर्फ विशम्बर दयाल ने अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के खिलाफ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में जमीन खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1149 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 908 रकबा 1.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 910 रकबा 0. 6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 928 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 954 रकबा 1.2000 हैक्टेयर कुल रकबा 5.6000 हैक्टेयर वाके ग्राम अशोक नगर तहत तहसील खेतड़ी के बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 ने जवाब दावा पेश किया । दिनांक 11.11.2019 को निर्णय व प्राथमिक डिकी जारी की गयी। इसके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बाद दिनांक 06.10.2022 को अन्तिम निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी ने विधि विरूद्ध जारी की जिसको अपास्त करवाने के लिये अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। दौराने अपील उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे की इबारत पक्षकारान को पढकर सुनाई गई। जिसे उन्होंने सही होना स्वीकार किया। इस पर इस न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा प्रकरण निर्णित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है। राजस्व एजेंसी मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर